न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील संख्या :-54/2017/टोंक (2017/00032)

1. नानगी पत्नि गेंदया, जाति बैरवा, निवासी गोपालपुरा ढाणी, पंचायत नटवाड़ा ग्राम नटवाड़ा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. शिवप्रसाद उर्फ श्योप्रसाद पुत्र बालू, जाति बैरवा, निवासी गोपालपुरा ढाणी, ग्राम नटवाड़ा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक ।
3. देशराज पुत्र बद्री दत्तक पुत्र गेंदया, जाति बैरवा, निवासी गोपालपुरा ढाणी, ग्राम नटवाड़ा, तह0 निवाई, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक दिनांक 25.5.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 18/2017.

उपस्थितः-

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :- 29.01.2019

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नंबर 138 वाके ग्राम नटवाड़ा, तहसील निवाई अवस्थित है । उक्त खसरा नंबर 138 में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट एवं अन्य व्यक्तियों के पूर्वज को भूमि आवंटित की गई एवं

आवंटन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद कर नक्शे में तरमीम की गई । बंदोबस्त भू–सुधार शीट आवंटन के समय कब्जा सुपुर्दगी अनुसार नहीं होने एवं शीट में की गई तरमीम की लाईन टेढ़ी–मेढ़ी होने से रेस्पो0 संख्या 3 देशराज ने उक्त खसरा नंबर 138 के संभी खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 संख्या 167/2013 बउनवानी देशराज बनाम दिनेश उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष दिनांक 10.5.2013 को प्रस्तुत किया जाने पर उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.6.2015 द्वासरा खसरा नंबर 138/4 हाल खसरा नंबर 138/1 व खसरा नंबर 137 वाके ग्राम नटवाड़ा के बीच की टेढ़ी–मेढ़ी तरमीम को सीधा कर इस प्रकार दुरूस्त किया जावे कि भूमि के क्षैत्रफल में परिवर्तन नहीं होने के संबंध मे आदेश पारित किये एवंम इस आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा शीट में परिवर्तन कर टेढ़ी–मेढ़ी लाईनों का सीधा कर नक्शा शीट बनाई गई । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के निर्णय दिनांक 26.6.2015 के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई । तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर खसरा नंबर 138/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम नटवाड़ा के सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी किए जाने बाबत् पेश किया जिस पर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने निर्णय दिनांक 19.5.2017 द्वारा उक्त खसरा नंबर पर सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी किऐ जाने के आदेश पारित किए। उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक कमशः 26.6.2015 व 19.5.2017 प्रभाव में रहते रेस्पो0 संख्या 1 शिवप्रसाद द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधि0 संख्या 18/2017 बउनवानी शिवप्रसाद बनाम देशराम विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने प्रकरण को लोक अदालत शिविर में नियत कर दिनांक 25.5.2017 को आक्षेपित आदेश पारित कर रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार कर तहसीलदार, निवाई को भू–सुधार शीट के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये । अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस संख्या 1 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 138 के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जबकि यह आदेशात्मक विधिक प्रावधान है कि धारा 136 के प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के सभी खातेदारों को

पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अधी0न्याया0 के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्रथमदृष्टया संधारण योग्य नहीं था । अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि इसी विवादित भूमि खसरा नंबर 138 बाबत् पूर्व में विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा ही प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एलआरएक्ट संख्या 167/2013 बउनवानी देशराज बनाम दिनेश में दिनांक 26.6.2015 को निर्णय पारित किया जा चुका था जिसके विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई एवं उक्त निर्णय आज भी प्रभाव में है । ऐसी स्थिति में पुनः उसी खसरा नंबर 138 बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था एवं संधारण योग्य नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 26.6.2015 को अन्य प्रार्थना पत्र के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है । यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधि0 प्रस्तुत कर खसरा नंबर 138/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा बाबत् पत्थरगढ़ी किए जाने का निवेदन किया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने निर्णय दिनांक 19.5.2017 से उक्त खसरा नंबर पर सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश पारित किये है । उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 26.6.2015 व 19.5.2017 के प्रभाव में रहते रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अन्य प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा राजस्व लोक अदालत शिविर में उपस्थित होने बाबत् अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं न ही अपीलांट राजस्व लोक शिविर में उपस्थित हुई परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने लोक अदालत की मंशा के विपरीत अपीलांट की अनुपस्थिति में आक्षेपित आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष कथन किया है कि उनके पूर्वज काली बेवा रघुनाथ को आवंटित आराजियात 2 बीघा 5 बिस्वा का मौके पर दो टुकड़ों में कब्जा संभलाया था, उक्त कथन बिल्कुल असत्य है । आवंटन के समय एक ही जगह कब्जा सुपुर्द किया गया था जो सुपुर्दगीनामे के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस से पूर्णतया साबित है एवं रेस्पो0 संख्या 1 उसी स्थान पर काबिज है । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना एवं प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आक्षेपित निर्णय दिनांक 25.5.2017 को निरस्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । आराजी खसरा नंबर 138/5 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का काबिज खातेदार काश्तकार है । खसरा नंबर 138 में से रेस्पो0 संख्या 1 के पूर्वज काली बेवा रघुनाथ को आराजी खसरा नंबर 138 में से 2 बीघा 5 बिस्वा का आवंटन हुआ था जिसका जमाबंदी में खसरा नंबर बटा के रूप में 138/5 का अंकन है । आवंटी को उक्त आवंटन का दो टुकड़ों में कब्जा संभलाया गया था जिसे भू–सुधार शीट में 138/5/1 व खसरा नंबर 138/5/2 के रूप में प्रदर्शित कर रखा है । खसरा नंबर 138/1 के खातेदार अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 है जिनके मौके पर खेत रेस्पो0 संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 138/5/1 भू–सुधार शीट के ऊपर यानि उत्तर दिशा में खसरा नंबर 138/1 के रूप में स्पष्ट रूप से बना हुआ है और अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 का मौके पर 138/1 के स्थान पर कब्जा नहीं है किन्तु अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 ने तहसील कर्मचारियों से मिलीभगती कर अपने खातेदारी की आराजियात खेत भू–सुधार शीट में खसरा नंबर 138/1 की तरमीम स्थिति में परिवर्तन करा दी । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निवाई के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू–राजस्व अधि0 1956 प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता ने वकालनामा पेश किया । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 27.4.2017 का अवलोकन किया गया । उक्त दिनांक की आदेशिका में पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 12.5.2017 को नियत की गई किन्तु पत्रावली दिनांक 12. 5.2017 को पेश न होकर दिनांक 25.5.2017 को कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नटवाड़ा में रखकर दिनांक 25.5.2017 को ही प्रकरण में निर्णय पारित किया है । पत्रावली पर प्रकरण को कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नटवाड़ा में रखे जाने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में रेस्पो0 संख्या 3 देशराज ने खसरा नंबर 138 के सभी खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 प्रार्थना पत्र संख्या 167/2013 बउनवानी देशराज बनाम दिनेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने निर्णय दिनांक 26.6.

2015 द्वारा खसरा नंबर 138/4 हाल खसरा नंबर 138/1 व 137 के बीच की टेढ़ी–मेढ़ी तरमीम को सीधा कर इस प्रकार दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किये कि भूमि के क्षैत्रफल में परिवर्तन नही हो । इस आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा शीट में परिवर्तन कर टेढ़ी–मेढ़ी लाईनों को सीधा कर नई नक्शा शीट बनाई जा चुकी थी । इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निवाई के न्यायालय में अंतर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधि0 के तहत खसरा नंबर 138/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा बाबत् प्रस्तुत कर सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी हेतु निवेदन किया गया था जिस पर उपखण्ड अधिकारी, निवाई ने निर्णय दिनांक 19.5.2017 से उक्त खसरा नंबर पर सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी के किए जाने के आदेश पारित किए थे । उपखण्ड अधिकारी, निवाई के उपरोक्त आदेशों दिनांक क्रमशः 26.6.2015 व 19.5.2017 के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई जिससे स्पष्ट है कि उक्त आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के प्रभावी रहते रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत 136 राज0भू–राजस्व अधि0 पेश किया जिसे अधी0न्याया0 ने स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । प्रकरण में जब विवादित आराजी के संबंध में पूर्व में की गई तरमीम दुरूस्ती तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी हो चुकी है तथा उक्त आदेशों की पालना में तरमीम में दुरूस्ती की जा चुकी है एवं पक्षकारान पत्थरगढ़ी के अनुसार मौके पर काबिज है तथा उक्त आदेशों को आज दिवस तक किसी भी पक्षकार ने सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं है जिससे उक्त आदेश आज भी प्रभावी है तथा उक्त आदेशों के प्रभावी रहते नवीन प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व आदेशों के प्रभावी रहते नवीन आदेश के माध्यम से विवादित आराजियात के संबंध में तरमीम दुरूस्ती के आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता है तथा अपीलाधीन आदेश को विधिसम्मत् भी नहीं माना जा सकता है । चूंकि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना उचित समझते है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 25.5.2017 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

7- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 54/2017 (2017/00032) बउनवानी नानगी बनाम शिवप्रसाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, निवाई द्वारा प्रकरण संख्या 18/2017 बउनवान शिवप्रसाद बनाम देशराज व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.5. 2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में

दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रश्नगत भूमि के संबंध में पूर्व में हुए तरमीम दुरूस्ती आदेश एवं सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के आदेशों को ध्यान में रखकर आवश्यकता होने पर नियमानुसार पुनः प्रकरण को निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

8- आदेश आज दिनांक 29.01.2019 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.02.07 12:46:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: